भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3071
6 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

†3071. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या, प्रतिबद्ध निवेश, जारी की गई प्रोत्साहन राशि और सृजित रोजगार कितना है;

(ख) ओडिशा में निवेश, सृजित प्रसंस्करण क्षमता और सृजित नौकरियों के संबंध में जानकारी सहित स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने, मूल्य संवर्धन को बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के संबंध में पीएलआईएसएफपीआई के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और,

(घ) वर्ष 2026-27 तक की शेष कार्यान्वयन अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत, आवेदकों को राज्य-वार मंजूरी नहीं दी गई है। देश भर में इस योजना के अंतर्गत कुल 127 लाभार्थियों/कंपनियों को मंजूरी दी गई है। अनुमोदित आवेदकों द्वारा 7,722 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश की तुलना में लगभग 9,207 करोड़ रुपये का कुल निवेश किया गया है। जून 2026 तक योजना के अंतर्गत 3,271.44 करोड़ रुपये की कुल प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित आवेदकों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के लगभग 3.35 लाख रोजगार अवसर सृजित किए गए हैं। रोजगार संबंधी राज्यवार डेटा नहीं रखा जाता है। परियोजनाओं/इकाइयों और प्राप्त निवेश का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया हैं।

(ख): पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत, अनुमोदित आवेदकों की पांच विनिर्माण इकाइयां ओडिशा में स्थित हैं। ये सभी इकाइयां प्रचालनरत हैं। इन इकाइयों में अनुमोदित आवेदकों द्वारा 196.30 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 110.22 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष प्रसंस्करण क्षमता का सृजन किया गया है। जिलावार इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं	जिला	लाभार्थी	उत्पाद खंड	प्राप्त निवेश (करोड़ रुपये में)	अतिरिक्त क्षमता (एमटीपीए) (हजार में)
1	बालासोर	गद्रे मरीन एक्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	29.85	10.80
2	खुर्दा	ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	आरटीसी/आरटीई	66.24	30.00
3	खुर्दा	आईटीसी लिमिटेड	आरटीसी/आरटीई	34.31	9.40
4	खुर्दा	पारले एग्रो प्रा. लिमिटेड	प्रसंस्कृत फल और सब्जियां	53.08	32.42
5	बरगढ़	टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड	प्रसंस्कृत फल और सब्जियां	12.82	27.60
कुल				**196.30**	**110.22**

रोजगार का राज्य-वार/जिला-वार डेटा नहीं रखा जाता है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नियमित रूप से योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन सृजन, खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड को बढ़ावा देने, कृषि-इतर नौकरियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और किसानों को उच्च आय प्रदान करने के लिए सहायता करना है। इस योजना ने खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार, उन्नत प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों को अपनाने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और आयात प्रतिस्थापन में योगदान दिया है। योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन तब स्वीकार्य हैं जब योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए आवेदन किए गए खाद्य उत्पादों के प्राथमिक प्रसंस्करण सहित विनिर्माण प्रक्रियाओं की पूरी श्रृंखला भारत में होती है, जिससे घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ावा मिलता है। देश भर में इस योजना के अंतर्गत किए गए निवेश के परिणामस्वरूप लगभग 34 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिली है।

(घ): योजना के अंतर्गत लक्षित रोजगार 2.5 लाख की तुलना में अनुमोदित आवेदकों द्वारा लगभग 3.35 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं। अनुमोदित आवेदकों द्वारा 7,722 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश की तुलना में लगभग 9,207 करोड़ रुपये का कुल निवेश किया गया है। देश भर में इस योजना के अंतर्गत किए गए निवेश के परिणामस्वरूप लगभग 34 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिली है।

पीएलआईएसएफपीआई एक समयबद्ध योजना है जो अनुमोदित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 तक कार्यान्वित की जा रही है और योजना अवधि के अंतर्गत प्रोत्साहन वितरण एक सतत प्रक्रिया है।

अनुबंध

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को लोकसभा में उत्तर हेतु "पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं" के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 3071 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

परियोजनाओं/इकाइयों और प्राप्त निवेश की राज्य-वार जानकारी

क्र.सं.	**राज्य**	**परियोजनाओं/इकाइयों की संख्या**	**प्राप्त निवेश (करोड़ रुपये में)**
1	आंध्र प्रदेश	34	1313.33
2	असम	3	46.54
3	बिहार	7	660.37
4	छत्तीसगढ़	1	45.14
5	गोवा	1	20.21
6	गुजरात	27	1599.88
7	हरियाणा	6	80.62
8	हिमाचल प्रदेश	1	10.93
9	जम्मू और कश्मीर	2	78.6
10	झारखंड	2	11.76
11	कर्नाटक	13	312.87
12	केरल	7	193.34
13	मध्य प्रदेश	8	657.69
14	महाराष्ट्र	31	1368.71
15	उड़ीसा	5	196.3
16	पंजाब	6	136.02
17	राजस्थान	6	279.94
18	तमिलनाडु	11	390.91
19	तेलंगाना	8	245.5
20	उत्तर प्रदेश	23	1242.83
21	उत्तराखंड	2	132.72
22	पश्चिम बंगाल	8	182.53
	कुल योग	**212**	**9207**
